



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022023-243751
CG-DL-E-20022023-243751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 2023/फाल्गुन 1, 1944

No. 746]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 2023/PHALGUNA 1, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 फरवरी, 2023

का.आ. 778(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3025(अ), तारीख 1 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(क) क्रम संख्या 4 में,--

- स्तंभ (2) में "स्वीकार करने" शब्दों के पश्चात् "या उपयोग करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- स्तंभ (3) में "प्राप्त विदेशी विदेशी अभिदाय" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, प्राप्त किए गए या उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 6 के स्तंभ (3) में "प्रस्तुत नहीं करने की अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय" शब्दों के स्थान पर "ऐसे विदेशी अभिदाय, जिसकी सूचना अधिनियम की धारा 18 के अधीन प्रस्तुत नहीं की गई है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 7 के,—

- स्तंभ (2) में, "प्राप्त विदेशी अभिदाय का लेखा और रिकॉर्ड नहीं रखने" शब्दों के स्थान पर "प्राप्त प्रत्येक विदेशी अभिदाय का लेखा और अभिलेख नहीं रखने" शब्द रखे जाएंगे;
- स्तंभ (3) में "लेखा नहीं रखने की सुसंगत अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय" शब्दों के स्थान पर "ऐसे विदेशी अभिदाय जिसके लेखे और अभिलेख अधिनियम की धारा 19 के अधीन नहीं रखे जाते हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

2. यह अधिसूचना केवल लंबित मामलों और भविष्यलक्षी मामलों के संबंध में लागू होगी और ऐसे मामले, जिनका निपटान इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व हो चुका है, उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. II/21022/23 (0004)/2021-एफसीआरए-III]

वाई.पी. ओझा, उप सचिव (एफसीआरए)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3025(अ), तारीख 1 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2023

S.O. 778(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, vide number S.O. 3025(E), dated the 1st July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely :-

In the said notification, in the Table,-

(a) in serial number 4,-

(i) in Column (2), after the word “accepting”, the words “or utilising” shall be inserted;

(ii) in Column (3), after the words “foreign contribution received”, the words “or utilised, as the case may be” shall be inserted;

(b) in serial number 6, in Column (3), for the words “the foreign contribution received during the period of non submission”, the words and figures “such foreign contribution for which intimation under section 18 of the Act is not furnished” shall be substituted;

(c) in serial number 7,-

(i) in Column (2) for the words “foreign contribution received and manner of its utilisation as required”, the words “each foreign contribution received and manner of its utilisation as required under” shall be substituted;

(ii) in Column (3), for the words “the foreign contribution during the relevant period of non-maintenance of accounts”, the words and figures “such foreign contribution for which accounts and records of foreign contribution are not maintained under section 19 of the Act” shall be substituted;

2. This notification shall be applicable for pending cases and prospective cases only and the cases which have been disposed before publication of this notification shall not be reopened.

[F. No. II/21022/23 (0004)/2021-FCRA-III]

Y. P. OJHA, Dy. Secy. (FCRA)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3025 (E) dated the 1st July, 2022.